आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

सेवा अपील वाद संख्या –58 / 2020

राजेन्द्र तिवारी

बनाम

राज्य सरकार व अन्य

आदेश

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	**आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर**	*आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ*
24.04.2023	यह अपीलवाद जिलाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के आदेश ज्ञापांक 100 दिनांक 29.01.2020 से असंतुष्ट होकर दायर किया गया है। वाद का सारांश यह है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC No. 10500 / 2010 बलिराम सिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 12.10.2010 को पारित आदेश का उल्लंघन करते हुए वादग्रस्त भूमि की दाखिल–खारिज की स्वीकृति कराने के आरोप में श्री राजेन्द्र तिवारी, तत्कालीन राजस्व कर्मचारी–सह–प्रभारी अंचल निरीक्षक, अंचल कार्यालय, गौनाहा के विरूद्ध प्रपत्र 'क' गठित करते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित करने हेतु अपर समाहर्त्ता, विभागीय जाँच, पश्चिम चम्पारण, बेतिया को संचालन पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी, गौनाहा को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया गया। प्रपत्र 'क' में आरोप लगाया गया कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC No. 10500 / 2010 बलिराम सिंह बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में दिनांक 12.10.2020 को पारित आदेश का **उदहरण** में आदेश पारित होने तक संबंधित भूमि पर यथास्थिति बनायें रखना है। उक्त आदेश की अवहेलना करते हुए दाखिल–खारिज वाद सं0–547 / 2011–12, 1015 / 2011–12, 1016 / 2011–12, 1055 / 2012–13, 1368 / 2012–13, 1347 / 2012–13,	

WEB COPY NOT OFFICIAL

1351/2012–13 के माध्यम से वादग्रस्त भूमि की दाखिल–खारिज की स्वीकृति दी गई है।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच–प्रतिवेदन के आलोक मे अपीलकर्ता से द्वितीय कारण–पृच्छा की मांग की गयी। प्राप्त कारण–पृच्छा के जवाब पर विचारोपरांत जिला पदाधिकारी द्वारा प्रोन्नति/वित्तीय उनयन की देय तिथि से तीन वर्षो के लिए रोक का दंड अधिरोपित किया गया।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है किः–

(i) अपीलकर्ता की नियुक्ति राजस्व कर्मचारी के पद पर वर्ष 1987 मे हुई। और ये दिनांक 31.01.2020 को सेवानिवृत हो गये। अपीलकर्ता का सेवा इतिहास संतोषप्रद रहा है।

(ii) अपीलकर्ता द्वारा अपने स्पष्टीकरण में जवाब दिया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC No. 10500/2010 में दिनांक 12.10.2020 को पारित आदेश की जानकारी उसे नहीं थी।

(iii) अपीलकर्ता के विरूद्ध वादग्रस्त भूमि की दाखिल–खारिज की स्वीकृति करने का आरोप है परंतु अंचलाधिकारी दाखिल–खारिज की स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार है। बिहार भूमि दाखिल–खारिज अधिनियम, 2011 के कंडिका 5 में अंकित प्रावधानानुसार दाखिल–खारिज आवेदन के प्राप्त होने पर अंचलाधिकारी, राजस्व कर्मचारी एवं अचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की मांग करते है। राजस्व कर्मचारी द्वारा जाँच प्रतिवेदन पर अंचल निरीक्षक अपने अनुशंसा के साथ अंचलाधिकारी को जाँच प्रतिवेदन समर्पित करते है। अगर अंचलाधिकारी जाँच प्रतिवेदन से संतुष्ट नहीं है तो अंचलाधिकारी स्वयं जाँच कर सकते है। इससे स्पष्ट है कि अंचल निरीक्षक दाखिल–खारिज हेतु सक्षम प्राधिकार नहीं है।

(iv) उपस्थापन पदाधिकारी द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया। अपीलकर्ता के विरूद्ध गठित प्रपत्र 'क' त्रुटिपूर्ण है क्योंकि ''बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम

WEB COPY NOT OFFICIAL

17 (3) एवं आरोप पत्र गठन नियमावली, 2011 के नियम 4 (2) के तहत गवाहों की सूची एवं साक्ष्य संलग्न नहीं किया गया था।

विद्वान सरकारी अधिवक्ता का कहना है कि अपीलकर्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा वादग्रस्त भूमि के दाखिल–खारिज पर रोक लगायी गयी थी परंतु अपीलकर्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करते हुए उक्त भूमि का दाखिल–खारिज कराया गया। हल्का कर्मचारी का क्षेत्र बहुत छोटा होता हे। दाखिल खारिज करने से पूर्व चौहदीदारों एवं स्थानीय प्रतिनिधि, एवं अन्य जानकारों से संबंधित भूमि के बारे में पूछताछ के बाद विस्तृत जाँच प्रतिवेदन दिया जाता है तथा संबंधित भूमि की राजस्व अभिलेख से भली–भाँति जाँच किया जाता है। विवादित जमीन की जानकारी उन्हें स्थानीय स्त्रोत से होती है। CWJC स्तर के विवाद की जानकारी आरोपी कर्मी को नहीं हो यह विश्वसनीय नहीं है। इनकी लापरवाही से माननीय उच्च न्यायालय के स्तर पर अवज्ञा का मामला बना। जिस आधार पर जिला पदाधिकारी द्वारा प्रोन्नति/वित्तीय उन्नयन की देय तिथि से तीन वर्ष के लिए रोक का दंड अधिरोपित किया गया, जो उचित है एवं यह वाद खारिज होने योग्य है।

उभय पक्षों को सुनने, वाद अभिलेख एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख में पोषित कागजातों के अवलोकन से सपष्ट होता है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश की अवहेलना के आरोप में अपीलकर्ता के विरूद्ध प्रपत्र 'क' गठित कर अपीलकर्ता से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। संचालन पदाधिकारी द्वारा अपीलकर्ता को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए जिला पदाधिकारी को जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। समर्पित जाँच प्रतिवेदन में आरोप प्रमाणित पाये जाने पर जिला पदाधिकारी द्वारा द्वितीय कारण–पृच्छा की मांग की गयी। प्राप्त कारण–पृच्छा पर विचारोंपरांत जिला पदाधिकारी द्वारा मुखर आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार निम्न न्यायालय के आदेश में कोई प्रक्रियात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है।

अपीलकर्ता के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की अवहेलना कर वादग्रस्त भूमि के दाखिल–खारिज करने का प्रमाणित आरोप है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना करना गंभीर प्रकृति का कदाचार है। ''बिहार सरकारी सेवक आचार

WEB COPY NOT OFFICIAL

नियमावली, 1976 की कंडिका 3 (1) में अंकित है कि :– ***हर सरकारी सेवक सदा***

(i) पूरी शीलनिष्ठा रखेगा,

(ii) कर्त्तव्य के प्रति निष्ठा रखेगा, और

(iii) ऐसा कोई काम न करेगा जो सरकारी सेवक के लिए अशोभनीय हो।

इस प्रकार अपीलकर्ता द्वारा उपर्युक्त नियमों का उल्लंघन किया गया है। यदि इन्हें कठोर दंड नहीं दिया जाता है, तो सरकारी कार्यालयों में अनुशासन बनाये रखना संभव नहीं होगा। इस प्रकार इस संबंध में जिला पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश नियमानुकूल एवं उचित है, जिसमें किसी प्रकार की हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं पाते हुए यह अपीलवाद खारिज किया जाता है।

आई0टी0 सहायक को आदेश दिया जाता है कि आदेश प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर इस आदेश को आयुक्त कार्यालय के बेवसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करे। इस आदेश की प्रति सभी संबंधितों को दी जाय एवं निम्न न्यायालय का अभिलेख वापस करें।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त **आयुक्त।**

WEB COPY NOT OFFICIAL